(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (भूदौली)

(आबादी भूमि से बच्चों के कब्रिस्तान तक)

केस मुकदमा :– गै.मु.रास्ता धारा 131, 132 मु0नं0 396 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना से पत्रांक भू.अ./2024/4393 दिनांक 10.07.2024 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 व 86 के प्रावधानों के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव ग्राम भूदौली ग्राम पंचायत भूदौली पटवार मण्डल भूदौली का प्राप्त होने पर पेश हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर समस्त खातेदारान/पक्षकारान को नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.07.2024 को पेश हो।	
(राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	
पत्रावली पेश हुयी। तहसीलदार नीमकाथाना उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2024/4393 दिनांक 10.07.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **भूदौली** पटवार मण्डल भूदौली तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्बर **759, 728, 735, 745 में रास्ता आबादी भूमि से बच्चों के कब्रिस्तान तक** प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। रास्ते के फोटो ग्राफ पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गैर मु. रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। अतः ग्रामीणों के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:10:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:10:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner